

न्यायालय तहसीलदार श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

मुकदमा नम्बर 177/2019 अंतर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

उनवान : राज्य सरकार बनाम मोहन लाल
निर्णय

आज पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का इसराठा पण्डरीकी अन्तर्गत धारा 91 एल. आर.एक्ट 1956 के तहत इस आशय की रिपोर्ट पेश की है कि गैर सायल मोहन लाल पुत्र मैरावाम जाति जाट निवासी इसराठा पण्डरीकी द्वारा ग्राम इसराठा पण्डरीकी के आराजी खसरा नम्बर 89 तादादी 2.87 है. किस्म भूमि शु.शमशान भूमि में से 0.17 है भूमि पर सम्वत् 2075 में नाजायज परम्नामकान अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, अतः इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

प्रकरण दर्ज कर रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को राजस्थाना भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 का नोटिस जारी कर तलब किया गया। गैर सायल को जारी नोटिस विधिवत् तामिल कराया गया। गैर सायल ने निर्धारित दिनांक को न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश किया। गैर सायल ने जवाब नोटिस में लिखा है कि हमने सरकारी अधिकारी के सामने नहीं किया है हमारा मकान आवासीय भूमि में लिखा है अतः हमारे विरुद्ध धारा 91 की कार्यवाही इसी हल्के पर ही पंजामा है जहाँ

उक्त अतिक्रमित भूमि के संबंध में स्वामित्व बाबत कोई दस्तावेज/सबूत गैर सायल द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे उक्त भूमि पर इनका स्वामित्व साबित होता हो, जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि गैर सायल द्वारा उक्त भूमि पर परम्नामकान अतिक्रमण किया है। गैर सायल द्वारा भूमि स्वामित्व संबंधित कोई संतोषजनक जवाब/प्रस्तुत न करने एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट में गैर सायल मोहन लाल का उक्त खसरा नम्बर 89 तादादी 2.87 है. शु.शमशान भूमि में से 0.17 है भूमि पर अतिक्रमण होना साबित होता है। गैर सायल मोहन लाल अतिक्रमी की श्रेणी में आता है।

अतः गैर सायल मोहन लाल जाति जाट निवासी इसराठा पण्डरीकी द्वारा ग्राम इसराठा पण्डरीकी के आराजी ख.नं. 89 तादादी 2.87 है. शु.शमशान भूमि में से 0.17 है भूमि का सम्वत् 2075 का अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली का आदेश पारित किया जाता है तथा लगान 0.17 का 50 गुणा से 9=00 रुपये की शास्ती आरोपित की जाती है।

त.रा.ले. को मांग कायमी, पटवारी हल्का को शास्ती राशि वसूली एवं हल्का भू.अ.नि. को अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल करने एवं कब्जा बहक सरकार लेने हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.3.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।



[Signature]
तहसीलदार
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर) राज्य